सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) अधिनियम 2026: जुर्माना, जाँच, ट्रायल

पॉलिटी, शिक्षा-शासन और दंडिक विधि | समाचार संदर्भ: 31 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 17 अक्टूबर 2026

परीक्षा-भ्रष्टाचार के विरुद्ध 2024 के कानून को और कठोर बनाने वाला संशोधन अधिनियम 31 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ गैज़ेट में प्रकाशित होकर लागू हो गया — लोकसभा में 27 जुलाई को पेश होकर केवल चार दिन में दोनों सदनों से पारित।

खबरों में क्यों

PRS अभिलेख के अनुसार विधेयक (संख्या 139-F) लोकसभा में 27 जुलाई 2026 को पेश हुआ, लोकसभा ने 29 जुलाई और राज्यसभा ने 30 जुलाई को पारित किया; राष्ट्रपति की स्वीकृति और गैज़ेट-प्रकाशन 31 जुलाई 2026 (CG-DL-E-31072026-275035)। प्रमुख बदलाव: दंड बढ़े (संगठित अपराध में जुर्माना ₹1 करोड़ से ₹5 करोड़), विशेष टास्क फोर्स का विकल्प, जाँच की 2-माह की समय-सीमा, और हर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय। यह 31 जुलाई 2026 से लागू अधिनियम है — विधेयक नहीं।

2024 बनाम 2026: दंड कितना बढ़ा?

धारा 10(1) — सामान्य अपराध (पेपर लीक, सॉल्वर-गैंग, प्रतिरूपण): 3-5 वर्ष कारावास + ₹10 लाख तक जुर्माना (2024) → 5-10 वर्ष + ₹50 लाख तक (2026)। धारा 10(2) — संगठित अपराध/संस्थागत उल्लंघन: न्यूनतम 5-10 वर्ष और जुर्माना ₹1 करोड़ (2024) → ₹5 करोड़ न्यूनतम (2026); परीक्षा-लागत की आनुपातिक वसूली जारी। जुर्माना अदायगी में चूक पर अतिरिक्त कारावास। जमानत-विरोधी प्रावधान भी कड़े।

मुख्य तथ्य

विशेष टास्क फोर्स (STF): केंद्र सरकार परीक्षा-भ्रष्टाचार मामलों के लिए समर्पित STF गठित कर सकेगी; जिस मामले में STF अधिसूचित, उसकी जाँच केवल उसी के पास — जिम्मेदारी-दुहराव खत्म।

जाँच की घड़ी: पहली बार 2-माह की समय-सीमा: FIR दर्ज होने, केंद्रीय एजेंसी को भेजे जाने, या STF अधिसूचित होने से (जो भी लागू हो) जाँच 2 माह में पूरी करनी होगी।

विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय: हर राज्य/UT को सत्र-न्यायालय (Court of Session) को विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय नामित करना होगा — संबंधित BNS/अन्य कानूनों के जुड़े अपराध भी उसी विचारण में; विशेष लोक अभियोजक (special PP) नियुक्ति अनिवार्य।

ट्रायल 3 माह में: विचारण दिन-प्रतिदिन; आरोप-पत्र दाखिल होने से 3 माह में पूरा; लंबित मामले नए न्यायालयों को स्थानांतरित — स्थानांतरण से 3 माह की समान सीमा।

कवरेज वही: 2024 अधिनियम की परीक्षा-प्राधिकरण सूची यथावत: UPSC, SSC, RRB, IBPS, NTA, केंद्रीय मंत्रालय/संबद्ध कार्यालय और अधिसूचित अन्य प्राधिकरण।

वेग का संकेत: 27 से 31 जुलाई — पेश, पारित (दोनों सदन), अनुमोदित, प्रकाशित: चार दिन में कानून; मानसून सत्र में NEET-विवाद के बाद तत्काल विधायी उत्तर।

यह संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है

भरोसे-संकट का विधायी उत्तर: पेपर-लीक की लहर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रामाणिकता — और करोड़ों युवाओं के कैरियर-भरोसे — पर सीधा आघात किया; दंड और गति की व्यवस्था इस विश्वास-घाटे की क़ीमत अपराधियों पर डालती है।

संगठित अपराध की पहचान: पेपर-लीक को सांगठनिक अपराध-ढाँचे में देखना (₹5 करोड़ न्यूनतम जुर्माना, संस्थागत दायित्व) — अकेले सॉल्वर नहीं, नेटवर्क निशाने पर।

गति = प्रतिरोध का दूसरा पहरा: सज़ा बढ़ना आधा उत्तर; 2-माह जाँच + 3-माह ट्रायल की समय-बाध्यता 'लंबित मुकदमों में भूल जाओ' की अपराध-रणनीति को काटती है — दंड की निश्चितता और तीव्रता ही वास्तविक प्रतिरोधक है।

विकेंद्रित क्रियान्वयन: हर राज्य/UT में न्यायालय और अभियोजक — केंद्र-कानून, राज्य-मशीनरी: संघीय समन्वय की परीक्षा।

विश्लेषण और आगे की राह

तीन चेतावनियाँ। पहली, POCSO का अनुभव: विशेष न्यायालय केवल 'नामित' करने से काम नहीं चलता — PRS के आंकड़े दिखाते हैं कि 775 फास्ट-ट्रैक न्यायालयों में 2 लाख+ मामले लंबित रहे; औसत विचारण-अवधि 257 दिन (आंध्र) से 1,717 दिन (दिल्ली) तक। न्यायाधीश, अभियोजक और बुनियादी ढाँचा दिए बिना 3-माह की सीमा कागज़ी रहेगी। दूसरी, जाँच-क्षमता: 2-माह की घड़ी अर्थहीन है यदि साइबर-जाँच और फोरेंसिक क्षमता न बढ़े — STF के गठन-मानदंड और संसाधन निश्चित करने होंगे। तीसरी, पीड़ित-केंद्रितता: निष्पक्ष परीक्षा देने वाले छात्रों के नुकसान की भरपाई (पुनः-परीक्षा की लागत, समय-हानि) का प्रावधान परोक्ष है — 'परीक्षा-लागत की वसूली' संस्था को मिलती है, छात्र को नहीं। निगरानी संकेतक: STF गठन-संख्या, जाँच/ट्रायल पूर्णता-दर, दोषसिद्धि-दर।

अवधारणा में अंतर

2024 अधिनियम बनाम 2026 संशोधन: 2024 में ढाँचा बना (अपराध-परिभाषा, दंड-आधार); 2026 में दंड-तीव्रता + गति-तंत्र (STF, समय-सीमाएँ, SFTC) — मूल अधिनियम के भीतर संशोधन, नया कानून नहीं। सामान्य अपराध बनाम संगठित अपराध: व्यक्तिगत नकल/प्रतिरूपण बनाम सॉल्वर-गैंग/संस्थागत षड्यंत्र — दंड-मात्रा और जुर्माना-क्रम अलग (₹50 लाख बनाम ₹5 करोड़)। अधिनियम-बल बनाम क्रियान्वयन-क्षमता: कानून लागू है, पर SFTC की स्थापना-स्थिति राज्यवार जाँचनी होगी।

मेंस दृष्टि

GS-II: शिक्षा-शासन, कानून-व्यवस्था की संघीय क्रियान्वयन, युवा-मुद्दे। GS-III: आंतरिक सुरक्षा का साइबर-आयाम, संगठित अपराध, दंडिक-न्याय सुधार। GS-IV: निष्पक्षता, जवाबदेही, नैतिक-भरोसा। निबंध: योग्यता बनाम धोखाधड़ी की अर्थव्यवस्था।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

सार्वजनिक परीक्षा (संशोधन) अधिनियम 2026 में 'दंड की तीव्रता' के साथ 'जाँच और विचारण की गति' को भी प्रतिरोध का हथियार बनाया गया है। विशेष न्यायालयों के भारतीय अनुभव के आलोक में इस दोहरी रणनीति की प्रभावकारिता का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: 31 जुलाई 2026 लागू; 2024 अधिनियम का सुदृढ़ीकरण।

मुख्य भाग में: दंड-तीव्रता: 5-10 वर्ष/₹50 लाख; संगठित में ₹5 करोड़। गति-तंत्र: STF, 2-माह जाँच, SFTC, दिन-प्रतिदिन, 3-माह ट्रायल। प्रभावकारिता के लिए: POCSO/FTSC अनुभव — नामितीकरण ≠ क्षमता; 2 लाख+ लंबित; संसाधन-शर्त। प्रतिरोध-सिद्धांत: निश्चितता+तीव्रता > केवल कठोरता।

निष्कर्ष में: कठोर दंड को जाँच और विचारण की निश्चितता से जोड़ें; केवल विशेष न्यायालय नामित करने को क्षमता-वृद्धि न मानें। न्यायाधीश, अभियोजक, साइबर-जाँच और फोरेंसिक संसाधनों के साथ जाँच-पूर्णता, विचारण-अवधि और दोषसिद्धि से प्रभाव परखें; कानून लागू होने और मशीनरी तैयार होने का अंतर रखें।

स्रोत

- गैज़ेट: Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Amendment Act, 2026 (31 जुलाई 2026, CG-DL-E-31072026-275035)
- संसद: विधेयक पूर्ण पाठ (जैसा पेश हुआ, 27 जुलाई 2026)
- PRS: Bill track — स्थिति और विश्लेषण
- PIB: संशोधन की व्याख्या (सरकारी)

जाँच-टिप्पणी: गैज़ेट-अधिनियम का प्राथमिक पाठ पढ़कर सत्यापित (धारा 10 के दंड-संशोधन, STF, SFTC, समय-सीमाएँ; अनुमोदन/प्रकाशन 31 जुलाई 2026, विधेयक संख्या 139-F)। पारित-तिथियाँ (लोकसभा 29, राज्यसभा 30 जुलाई) PRS bill-track से। FTSC लंबितता-आंकड़े PRS विश्लेषण से (POCSO संदर्भ)। अलग प्रारंभ-तिथि का प्रावधान पाठ में नहीं मिला — 31 जुलाई 2026 से प्रवृत्त माना गया।

यह भी पढ़ें: UAPA और जमानत की कसौटी: सुरक्षा बनाम स्वतंत्रता | फाँसी की विधि पर निर्णय: पूर्वनिर्णय, गरिमा और वैज्ञानिक साक्ष्य।

याद रखें: चार दिन में कानून: ₹5 करोड़ जुर्माना, 2-माह जाँच, 3-माह ट्रायल — परीक्षा-भ्रष्टाचार पर कड़ाई तय, अब SFTC की वास्तविक क्षमता ही फैसला करेगी।